भाग- 6 (राज्य)

कार्यपालिका → राज्यपाल

Art. 153 :- एक राज्य का एक राज्यपाल होगा है किन्तु एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। (7 वाँ संविधान संशोधन)

Art. 154 :- राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं। उसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से संविधान के अनुरूप करेगा।

Art. 155 :- राज्यपाल की नियुक्ति व चयन
↓ राष्ट्रपति ↓ संघीय सरकार (केन्द्र सरकार)
अनुशंसा

राज्यपाल नियुक्त हो या निर्वाचित -

नियुक्ति के पक्ष में तर्क -

① यदि राज्यपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा तो राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य संघर्ष की सम्भावना रहेगी।

② जब राज्यपाल नाममात्र का संवैधानिक प्रधान है तो चुनाव जैसी जटिल प्रक्रिया को क्यों अपनाया जायेऔर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ाया जाए / क्यों वहन करें ?

③ निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा, उससे निष्पक्ष व निस्वार्थ भूमिका की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

④ राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय शासन प्रणाली के प्रतिकूल हो सकता है।

⑤ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के माध्यम से केन्द्र सरकार का राज्यों पर नियंत्रण बना रहेगा।

REDMI NOTE 13 PRO AAPE 03/07/2025 11:17